कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल परिक्षेत्र भोपाल
(भूतल "ग" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, दूरभाष -0755-2551594, ई-मेलcephbpl@nic.in)

आ.क्र./ 116 /स्था./मु.अ./लो.स्वा. यां. वि./परिक्षेत्र/2025/भोपाल दिनांक 23/07/2025

//आदेश//

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.7275/2019 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लांइड एम.पी.ब्रांच विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-8-2/2013 आ.प्र./एक/भोपाल दिनांक 04.01.2024 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र.296/1857412/2024/26-1 भोपाल 21.02.2024 एवं प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन बाणगंगा भोपाल के पत्र क्रमांक 5413 दिनांक 07.06.2024 के तहत दिव्यांगजनो के चिन्हांकित रिक्त पदो पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्ते तथा भरती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये दिनांक 22.07.2024, दिनांक 19.12.2024 एवं दिनांक 02.01.2025 को आयोजित छानबीन समिति की अनुशंसा अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 07.05.2025 से मूल चयन सूची में चयनित 06 अभ्यर्थियो में से 05 अभ्यर्थियो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता जताने एवं जिस खंड में की गई पदस्थापना के पश्चात उक्त खंड कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियो के कार्यभार ग्रहण नही करने संबंधी जानकारी के आधार इस कार्यालय के पत्र क्र.620 दिनांक 27.03.2025 अनुसार जारी प्रतीक्षा सूची में बहरे एवं कम सुनने वाले के सरल क्रमांक 1, दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि बाधित के सरल क्रमांक 1 व 2, बहुविकलांग के सरल क्रमांक 1 पर एवं लोकोमोटर के सरल क्रमांक 1 पर स्थित अभ्यर्थियो को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक भृत्य के पद पर वेतनमान (रू.4440-7440+1300 ग्रेड-पे) में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के पे मेट्रीक्स लेवल-1-15500-49000 में न्यूनतम वेतन रूपये 15500 (समय-समय पर शासन द्वारा देय महगांई भत्ता एवं अन्य भत्तो सहित) निम्नलिखित शर्तों के साथ निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान कर संबंधित नाम के सम्मुख दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	दिव्यांगता का प्रकार	चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री सौरभ चतुर्वेदी स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी	बहरे एवं कम सुनने वाले	अनारक्षित	खंड सीहोर
2	कु.रूबी दुबे पिता श्री एच.के.दुबे	दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि बाधित	अनारक्षित	खंड सीहोर
3	कु.अंजू कोली पिता श्री गोपीलाल कोली	दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि बाधित	अनुसूचित जाति	खंड बैतूल

Scanned with OKEN Scanner

4	कु.प्रिया शर्मा पिता श्री गिरीश चन्द्र शर्मा	बहुविकलांग	अनारक्षित	गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड भोपाल
5	श्री मनीष साहू पिता श्री रामचरण साहू	लोकोमोटर	अन्य पिछड़ा वर्ग	नर्मदापुरम मण्डल

नियुक्ति की शर्तें:-

1 यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

2 अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हे कार्य पर उपस्थित नही होने दिया जावेगा।

3 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-7-19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.6 के प्रावधान अनुसार चयनित अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जॉच, कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से अनिवार्यत: कराई जाये एवं प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जावे। कंडिका 2.7 के प्रावधान अनुसार केवल मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जॉच जिला मेडिकल बोर्ड से बैरा टेस्ट (BERA TEST) करवाना अनिवार्य है। बैरा (BERA) टेस्ट की जॉच के आधार पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जावे।

4 म.प्र.शासकीय सेवा (अस्थायी एवं अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह की सूचना देकर या एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह की सूचना दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।

5 अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर अपनी उपस्थिति सूचना के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र/स्थाई निवासी प्रमाण पत्र डिजिटल प्रति/विकलांगता प्रमाण-पत्र मूल एवं डिजिटल तथा उनकी छायाप्रतियां प्रस्तुत कर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करवाना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्ते तथा भरती)नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित के अनुसार पद हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न करने पर यह आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जायेगा एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

6 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्र.3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.19 के बिन्दु (अ) एवं (ब) के परिपेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से यह नियुक्ति प्रथमत: तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा परिवीक्षा अवधि

Scanned with OKEN Scanner

में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि/स्थायीकरण/वरिष्ठता/पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्ते तथा भरती)नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित के अध्याधीन होगी । सेवा संबंधी अन्य मुददे नियमित शासकीय सेवको को लागू नियमो के अनुसार रहेगे।

8 अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवाकाल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पालन करना होगा।

9 चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रो के संबंध में प्रतिकूल स्थिति या गड़बड़ी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी एवं संबंधित के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

10 चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर सभी औपचारिकताओं सहित अपने पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

11 राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्ते एवं आदेश यथावत लागू होगे।

12 कार्य एवं व्यवहार,असंतोषजनक पाये जाने पर आपकी सेवा एक माह की सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी।

13 मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 1/एफ-9/3/2003/नियम-चार/भोपाल दिनांक 13.04.05 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होगें। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।

14 संबंधित चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर (केवल अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग), उसकी प्रविष्टी संबंधित की सेवापुस्तिका में की जावेगी, साथ ही संबंधित के सभी प्रयोजनों हेतु उसी सवंर्ग का उल्लेख किया जावेगा।

15 मध्यप्रदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-4/2014/नियम/चार/भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2024 में दिये गये निर्देशानुसार कर्तव्य पर उपस्थित होने पर प्रपत्र में जानकारी भर कर दिया जाना सुनिश्चित करें।

16 म.प्र.शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य शर्ते यथावत प्रभावशील होगी।

23/7/25

(आर.के.हिरोडिया)
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल परिक्षेत्र भोपाल

पृ.क्रमांक/ 1556 /स्था./मु.अ./लो.स्वा. यां. वि./परिक्षेत्र/2025/भोपाल दिनांक 23/07/2025
प्रतिलिपि:-

1 महालेखाकार भोपाल/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner

2 आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भोपाल पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड न.3 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

3 प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन बाणगंगा भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.5413/स्था./अराज./दिनांक 07.06.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

4 अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5 अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल भोपाल/नर्मदापुरम सीहोर/बैतूल/गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आवेदको/आवेदिका की उपस्थिति के समय उपर वर्णित कंडिकाओ अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों का भली-भांति परीक्षण किये जाने एवं शर्त क्रमांक 2 एवं 3 के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा अपने मूल आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जावे। निर्देशो का पालन न कर कार्यभार ग्रहण कराने पर संबंधित अधिकारी एवं लिपिक का उत्तरदायित्व होगा। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना दिनांक सहित इस कार्यालय को प्रेषित की जावे। चयनित अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज मय पत्र संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

6 जिला कोषालय अधिकारी जिला सीहोर/नर्मदापुरम/भोपाल/बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला अस्पताल जिला ....की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि चयनित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगता का परीक्षण एवं मूक बधिर होने की स्थिति में बैरा (BERA) टेस्ट सहित दिव्यांगता का परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध है। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

8 अभ्यर्थी श्री सौरभ चतुर्वेदी स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी म.न.51/4 न्यू ब्लॉक गली न.1 कैंची छोला रोड भोपाल पिनकोड 462010 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। ।

9 कु.रूबी दुबे पिता श्री एच.के.दुबे म.न.123 संजय नगर मंडी सीहोर म.प्र. पिनकोड 466001 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

10 कु.अंजू कोली पिता श्री गोपीलाल कोली काली माता मोहल्ला पिधोर जिला शिवपुरी म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

11 कु.प्रिया शर्मा पिता श्री गिरीश चन्द्र शर्मा म.न.17 स्टार्लिंग हिल्स व्यू डां. गोविन्द नारायण सिंह मॉडल टाउन के अंदर चूना भटी कोलार रोड भोपाल पिन कोड 462016 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

12 अभ्यर्थी श्री मनीष साहू पिता श्री रामचरण साहू ग्राम धोवखरा पोस्ट मडवा हैण्डपंप के पास मडवा 493 रीवा मध्यप्रदेश पिनकोड 486550 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner

सरल क्रमांक 8 से 12 तक के सभी आवेदको/आवेदिका इस आदेश की शर्तो में वर्णित कंडिकाओं अनुसार समस्त दस्तावेजो की मूल एवं छायाप्रतियो एवं शर्तो की कंडिका क्रमांक 2 एवं 3 अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने के प्रमाण पत्र के साथ आदेश प्राप्ती दिनांक से एक माह की अवधि में अपने पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करें

13 आदेश नस्ती।

संलग्न:- सरल क्र.5 एवं 7 के लिये उपरोक्तानुसार

23/7/25

(आर.के.हिरोड़िया)
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल परिक्षेत्र भोपाल

Scanned with OKEN Scanner